रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2010/आषाढ़ 21, 1932
No. 172] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2010/ASADHA 21, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 7 जुलाई, 2010

फा. सं. टीएएमपी/11/2008-सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, पत्तन क्षेत्र में टी.वी. और टेलीफोन केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार के निर्धारण हेतु कोचीन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव निपटान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/11/2008-सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास — **आवेदक**

आदेश

(जून, 2010 के 16वें दिन पारित)

यह मामला टी.वी. और टेलीफोन केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार हेतु प्रभार निर्धारित करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1. सीओपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं:–

(i). जनवरी 2007 में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान में टी0वी0 केबल बिछाने के लिए पृथक मार्गाधिकार प्रभार निर्धारित नहीं किए गए थे। उसके मद्देनजर, टी0वी0 केबल बिछाने के लिए मार्गाधिकार प्रभार तेल पाइपलाइन बिछाने के लिए निर्धारित दरों पर वसूल किए गए थे।

(ii). मै0 एसआर केबल विज़, विलिंग्डन आइलैंड में कार्य करने वाले केबल ऑपरेटरों में से एक, ने विलिंग्डन आइलैंड में केबल बिछाने के लिए मार्गाधिकार की वसूली को चुनौती देते हुए माननीय केरल उच्च न्यायालय में सीओपीटी के विरूद्ध रिट याचिका दाखिल की थीं।

(iii). माननीय केरल उच्च न्यायालय ने, दिनांक 19 जून 2007 के अपने संयुक्त निर्णय में, रिट याचिकाओं का निपटान किया है और सीओपीटी को निदेश दिया है कि केबल टी0वी0 नेटवर्क कनेक्शन में सभी प्रकार की सेवाओं के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49 और 50 के अनुसार एकसमान प्रशुल्क का निर्णय लिया जाए।

(iv). कोचीन निगम केबल टी0वी और टेलीफोन ऑपरेटरों से उनकी तारे बिछाने के लिए भूमि/निगम क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए रु0 3500/– (लगभग) प्रति किलोमीटर अथवा उसका भाग किराये के रूप में वसूल करता है। मार्गाधिकार प्रभारों का प्रस्ताव करने के लिए सुविचारित आधार को प्रमाणित करने के लिए हमारे प्रश्न के प्रतिसाद में, पत्तन ने स्पष्ट किया है कि कोचीन निगम द्वारा प्रभारित दर मौखिक रूप से प्राप्त की गई थी।

2.2. तदनुसार, सीओपीटी ने टी0वी0 केबल और टेलीफोन केबल बिछाने के लिए किराये के रूप में निम्नलिखित दरों और शर्तों का प्रस्ताव किया है:–

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	रु0
1.	केबल टी0वी0 लाइनों के लिए	प्रति किलोमीटर अथवा उसका भाग प्रतिवर्ष	4000/-
2.	टेलीफोन केबल लाइनों के लिए	प्रति किलोमीटर अथवा उसका भाग प्रतिवर्ष	5000/-

टिप्पणियाँ:

(i). 2 प्रतिशत की स्वचालित वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में इस दर पर लागू होगी।

(ii). प्रस्तावित दरें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी और वर्तमान प्रचालकों से अपेक्षा की जाती है कि उस तारीख से प्रस्तावित दरों का भुगतान करें जब सीओपीटी के साथ करार किया गया है।

3.1. इस प्राधिकरण ने विभिन्न आदेशों के माध्यम से निर्णय दिया है कि मार्गाधिकार प्रभार महापत्तनों की तत्संबंधी भूमि के लिए लागू पट्टा किराये के बराबर निर्धारित किया जाए। प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं है कि पत्तन ने प्रस्तावित मार्गाधिकार प्रभारों पर पहुंचने के लिए भूमि नीति पर सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है अथवा नहीं। पत्तन को सलाह दी गई थी कि दिशानिर्देशों में अपेक्षित छूट, यदि कोई हो, दर्शाएं। चूंकि पत्तन न्यासों को अधिकतम स्तर पर दर प्रचालित करने का अधिकार है, इसलिए सीओपीटी से यह जांच अनुरोध भी किया गया था कि क्या यह प्रावधान संदर्भित मामले में लागू किया जा सकता है।

3.2. सीओपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर कोई सटीक जवाब नहीं भेजा है। सीओपीटी ने हमारे अनुरोध पर अपने पत्र दिनांक 10 अप्रैल 2008 द्वारा पत्तन द्वारा एकत्रित मार्गाधिकार प्रभारों को चुनौती देते हुए एस एंड आर केबल विज़न द्वारा दाखिल की गई रिट याचिकाओं की प्रति और रिट याचिकाओं का निपटान करते हुए केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति अग्रेषित की है। उच्च न्यायालय आदेश में दिए गए प्रासंगिक निदेश नीचे दिए गए हैं:–

(i). कोचीन पत्तन न्यास के प्राधिकारी धारा 49 और 50 के अधीन केबल टी0वी0 नेटवर्क के लिए दरें निर्धाश्रित करें।

(ii). कोचीन पत्तन न्यास को निदेश दिया गया है कि केबल टी0वी0 नेटवर्क के संबंध में सभी प्रकार की सेवाओं के लिए धारा 49 के अनुसार प्रशुल्क निर्धारित किए जाए और याचिकाकर्ता और अन्य प्रचालकों से इसकी मांग की जाए। रिट याचिकाओं का तदनुसार यह निदेश देते हुए निपटान किया गया है कि कोचीन पत्तन न्यास अपनी अगली बैठक में यथा निदेश उपर्युक्त धाराओं 49 और 50 के अधीन प्रशुल्क दरों का निर्णय करे।

(iii). याचिकाकर्ता के आरोप के मद्देनजर, कोचीन पत्तन न्यास अन्य प्रचालकों को निःशुल्क सुविधा दी जाती है, कोचीन पत्तन न्यास को निदेश दिया जाएगा कि प्रत्येक केवल टी0वी0 प्रचालक के लिए एकसमान प्रशुल्क निर्धारित किया जाए ताकि प्रत्येक को समान हो।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीओपीटी का प्रस्ताव उपयोक्ता संगठनों और सीओपीटी द्वारा यथा अग्रेषित उपयोक्ताओं को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। सीओपीटी ने, संयुक्त सुनवाई में हमारी सलाह के बाद, उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपनी अभ्युक्तियां भेजी हैं।

5.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 20 अप्रैल 2009 को सीओपीटी में आयोजित की गई थी।

5.2. संयुक्त सुनवाई में, सीओपीटी को मै0 भारत संचार निगम लिमिटेड, मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड और मै0 एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशन (प्रा0) लिमिटेड द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और अपनी टिप्पणियां भेजने की सलाह दी गई थी। सीओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 9 नवम्बर 2009 द्वारा उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपने जवाब भेजे थे।

6. इस मामले में, कार्यवाही संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारे वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

7. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की समग्र सूचना के आधार पर, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:–

(i). माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19 जून 2007 में निर्णय दिया था कि पत्तन भूमि के माध्यम से और पत्तन न्यास की संपत्तियों पर उपलब्ध सभी सुविधाए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49 और 50 के अधीन निर्धारित प्रावधानों के अधीन है। केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49 और 50 में निर्धारित सांविधिक प्रावधानों के अनुसार पत्तन टी0वी0 केबल ऑपरेटरों से प्रभार वसूल करने का हकदार है। इस प्रकार, टी0वी0 केबल ऑपरेटरों से लेवी प्रभार वसूल करने की पत्तन की सक्षमता पर कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार, इस प्राधिकरण के समक्ष मामला इसे एकसमान रूप से लागू करने के लिए टी0वी0 केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार प्रभार की मात्रा निर्धारित करने के लिए विनिहित है। माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 19 जून 2007 केवल टी0वी0 केबल से संबंधित है और इसमें टेलीफोन केबल का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, सीओपीटी ने अपने प्रस्ताव में टेलीफोन केबल के लिए भी मार्गाधिकार प्रभारों को शामिल किया है।

(ii). पत्तन ने टी0वी0 केबल लाइनों के लिए रु0 4000/– प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष का मार्गाधिकार शुल्क प्रस्तावित किया है जोकि पड़ोसी क्षेत्र में टी0वी0 केबल ऑपरेटरों से कोचीन नगर निगम द्वारा एकत्रित प्रभारों से रु0 500/– ज्यादा है।

इस प्राधिकरण ने विभिन्न आदेश के माध्यम से निर्णय दिया है कि मार्गाधिकार प्रभार महापत्तनों की तत्संबंधित भूमि के लिए लागू पट्टा किरायों के बराबर निर्धारित किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, मार्गाधिकार प्रभारों की वसूली के लिए सीओपीटी द्वारा मांगा गया अनुमोदन टी0वी0 केबल लाइनों के लिए है जो भूतल से ऊपर ले जाई जाती हैं और मुख्यतः बिजली खम्भों के माध्यम से। जैसाकि केबल ऑपरेटरों में से एक ने सही कहा है कि वे पत्तन की भूमि के किसी भी हिस्से का प्रत्यक्ष रूप से अभिग्रहण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में, ऊपरी टी0वी0 केबल के लिए मार्गाधिकार प्रभार निर्धारित करने के लिए पत्तन की भूमि का बाजार मूल्य लागू करना पूर्णतः प्रासंगिक नहीं हो सकता। यदि भूमि का बाजार मूल्य लागू किया जाता है तो दर पत्तन द्वारा प्रस्तावित दर से अधिक परिगणित होगी।

चूंकि पत्तन का प्रस्ताव पत्तन क्षेत्र में ऊपरी केबल बिछाने के लिए टी0वी0 केबल ऑपरेटरों को अनुमति प्रदान करने के लिए शुल्क वसूल करने के लिए है, इसलिए यह संभव नहीं होगा कि किसी लागत के संदर्भ में टी0वी0 केबल लाइनों के लिए प्रभार निर्धारित किए जाएं।

पत्तन ने बताया है कि पत्तन क्षेत्र के निकट प्रचालन करने वाला नगर निगम केबल टी0वी0 ऑपरेटरों से किराये के रूप में लगभग रु0 3500/– प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष वसूल करता है। हालांकि पत्तन ने इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमाणित नहीं किया है, परंतु इस मामले में जिन टी0वी0 केबल ऑपरेटरों से विचार–विमर्श किया गया था उन्होंने पत्तन द्वारा प्रतिवेदित रु0 3500/– प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष के आंकड़ों का विरोध किया है। स्वीकार करते हुए कि कोचीन नगर निगम के पास उसके न्यायाधिकार में बड़ा क्षेत्र होगा, कोचीन नगर निगम द्वारा एकत्रित दर कोचीन पत्तन न्यास क्षेत्रों में टी0वी0 केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार प्रभार निर्धारित करने के लिए तलचिह्न है।

तथ्य पर विचार करते हुए कि यह केवल एक विविध प्रशुल्क मद है, अनुमोदित प्रशुल्क से अतिरिक्त आय महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।

(iii). मै0 एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशन लिमिटेड (एएससीएल) ने उल्लिखित किया है कि पत्तन उनसे खम्भा प्रभार वसूल करे। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जनवरी 2007 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पूर्व–संशोधित दरमान और हाल ही में 23 फरवरी 2010 को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान ऐसी कोई प्रशुल्क मद निर्धारित नहीं करता है। उसकी टिप्पणी खम्भों के लिए प्रभार वसूली और दोबारा, ऊपरी केबल के लिए मार्गाधिकार दोगुना बोझ है।

मै0 एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशन लिमिटेड ने भी सूचित किया है कि उन्होंने कोचीन नगर निगम द्वारा एकत्रित किए जाने के लिए प्रस्तावित रु0 3500/– की वसूली के संदर्भ में रिट याचिका दाखिल की है और उच्च न्यायालय ने ऐसी लेवी पर रोक लगाई है। यह प्राधिकरण टी0वी0 ऑपरेटरों द्वारा दाखिल किए गए ऐसे वैयक्तिक वादों पर नहीं जाना चाहता है। इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गाधिकार प्रभार पत्तन द्वारा एकसमान रूप से लागू करने के लिए है। यदि पत्तन खम्भों और मार्गाधिकार प्रभारों दोनों के लिए प्रभार वसूल करने का निर्णय लेता है तो वह ऐसा मै0 एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशन लिमिटेड द्वारा दाखिल किए गए मामले में उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार ही कर सकता है।

कुछ टी0वी0 केबल ऑपरेटरों ने यह उद्धरित करते हुए मार्गाधिकार प्रभारों की वसूली से छूट मांगी है कि वे पत्तन कर्मचारियों को टी0वी0 केबल अंशदान प्रभारों में रियायत का ऑफर देते हैं। उपयोक्ताओं द्वारा दी गई टिप्पणियां विचाराधीन नहीं हैं क्योंकि प्राधिकरण द्वारा की गई वर्तमान कार्यवाही ऊपरी टी0वी0 केबल के लिए एकसमान दर निर्धारित करने के लिए है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर अधिकतम स्तर है।

(iv). टेलीफोन केबल लाइनों पर मार्गाधिकार प्रभारों की वसूली के लिए पत्तन का प्रस्ताव के संबंध में, मै0 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड दोनों की ओर से जबरदस्त आपत्तियां रही हैं। मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड ने बतया है कि वे इंडिया टेलीग्राफ एक्ट, 1985 द्वद्वारा शासित किए जाते हैं और ऐसी लाइनें बिछाने के लिए उनके पास लाइसेंस है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि उन्हें प्रदान किया गया लाइसेंस उन्हें भूमिगत केबल बिछाने की अनुमति देता है और कि केरल सरकार ने उन्हें अगले पन्द्रह वर्षों के लिए मार्गाधिकार प्रभार के भुगतान से छूट दी हुई है। बीएसएनएल और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड दोनों ने निवेदन किया है कि वे देश में कहीं भी ऐसा किराया प्रभार अदा नहीं करते हैं। बीएसएनएल ने कोचीन नगर निगम द्वारा ऐसी वसूली अधिरोपित करने के बारे में प्रस्ताव में पत्तन द्वारा किए गए दावा को भी नकार दिया है। सीओपीटी ने बीएसएनएल और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड द्वारा किए गए निवेदनों को न तो स्पष्ट किया है और न ही विरोध किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पत्तन क्षेत्र के भीतर केबल डालने के लिए मार्गाधिकार प्रभार की वसूली के लिए पत्तन हकदार है। परन्तु वर्तमान मामले में चूंकि बीएसएनएल और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड ने दावा किया है कि वे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट द्वारा शासित किए जाते हैं और सरकार के साथ पृथक लाइसेंस करार की मौजूदगी और वे देश में कहीं भी ऐसा किराया अदा नहीं करे हैं के बारे में, उनके मामले में उठने वाले विधिक मुद्दे को प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था पर विचार करने से पहले पत्तन को संबोधित करने की आवश्यकता है। पत्तन को निदेश दिया जाता है कि वह बीएसएनएल और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करें और तब पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत करें, यदि आवश्यक हो।

(v). सीओपीटी ने प्रस्तावित मार्गाधिकार प्रभारों में 2 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि की मांग की है। भूमि नीति पर मार्च 2004 के सरकार दिशानिर्देश पट्टा किराये में 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि निर्धारित करते हैं। ऐसी वार्षिक वृद्धि वहां लागू होगी जहां पट्टा किराया भूमि नीति दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए निर्धारित किया जाता है। वर्तमान मामले में, भूमि का बाजार मूल्य प्रभार के निर्धारण के लिए सुविचारित नहीं किया जाता है और इसलिए वार्षिक वृद्धि स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(vi). सीओपीटी ने वर्तमान प्रस्ताव में दरों का अनुमोदन उस तारीख से पूर्वव्यापी मांगा है जब ऑपरेटरों ने पत्तन के साथ करार किया था। तत्पश्चात, सीओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 9 नवम्बर 2009 द्वारा सूचित किया है कि पत्तन ने अपने परिपत्र दिनांक 30 जून 2008 के आधार पर 29 फरवरी 2008 से तदर्थ आधार पर प्रस्तावित मार्गाधिकार प्रभार को कार्यान्वित किया है। सीओपीटी द्वारा तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दर का कार्यान्वयन प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.4 के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अंतिम दर सामान्यतः केवल भावी प्रभाव से होगी।

(vii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 3 वर्षों का प्रशुल्क वैधता चक्र विनिर्दिष्ट करते हैं। यह उपयुक्त पाया गया है कि कोचीन पत्तन न्यास के इसके दरमान में निर्धारित अन्य प्रशुल्क मदों की अगली समीक्षा के समय इस प्रशुल्क मद की समीक्षा की जाए। इसलिए, टी0वी0 केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार प्रभार की वैधता 7 अप्रैल 2010 को अधिसूचित किए गए कोचीन पत्तन न्यास के संशोधित दरमान की वैधता के साथ इसे जोड़ने के लिए 31 मार्च 2012 तक निर्धारित की गई है।

8. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण अध्याय–VI विविध प्रभार के अधीन अनुसूची 6.16 शामिल करते हुए सीओपीटी के दरमान को संशोधित करता है जोकि निम्नवत् हैः–

"6.16. टी0वी0 केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार प्रभार

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	रु0
1.	केबल टी0वी0 लाइनों के लिए	प्रति किलोमीटर अथवा उसका भाग प्रतिवर्ष	3500/-

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन/III/4/143/10–असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th July, 2010

F. No. TAMP/11/2008-COPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Cochin Port Trust for fixation of way leave charges for TV and telephone cable lines in the port area as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/11/2008-COPT

Cochin Port Trust — **Applicant**

ORDER

(Passed on this 16th day of June 2010)

This case relates to the proposal received from the Cochin Port Trust (COPT) for fixation of charges for way leave for TV and telephone cable lines.

2.1. The COPT has made the following main points in its proposal:

(i). The Scale of Rates approved by the Authority in January 2007 does not prescribe separate way leave charges for laying TV cables. In view of that, the way leave charges for laying TV cables was collected at the rates prescribed for laying oil pipelines.

(ii). M/s.SR Cable Vision, one of the cable operators functioning in Willingdon Island has filed writ petitions against COPT in the Hon'ble High Court of Kerala challenging the collection of way leave charges for cables lying in Willingdon Island.

(iii). The Hon'ble High Court of Kerala, in its common Judgment dated 19 June 2007, has disposed of the Writ Petitions and has directed the COPT to decide a uniform tariff in accordance with the section 49 and 50 of the Major Port Trusts (MPT) Act 1963 for all type of services in connection with cable TV network.

(iv). Corporation of Cochin collects Rs.3,500/- (approximately) per kilometer or part thereof per annum as rent from the cable TV and telephone operators for using the land / corporation area for laying their cables. In response to our query to substantiate the basis considered for proposing the way leave charges, the port has clarified that the rate charged by Corporation of Cochin was obtained verbally.

2.2. The COPT has, accordingly, proposed the following rates and conditions as rent for laying TV cables and telephone cables:

No.	Description	Unit of measurement	Rs.
1.	For cable TV lines	Per kilometer or part thereof per annum	4000/-
2.	For telephone cables lines	Per kilometer or part thereof per annum	5000/-

Notes:

(i). An automatic annual escalation of 2% will be applicable on this rate at the beginning of every financial year.

(ii). The proposed rates will be applicable with retrospective effect and the existing operators are required to pay the proposed rates from the date on which an agreement is entered into with COPT.

3.1. This Authority through various orders has held that way leave charges have to be prescribed at par with the lease rent applicable for the respective land of the major ports. It is not clear from the proposal whether the port has complied with the Government guidelines on land policy for arriving at the proposed way leave charges. The port was advised to indicate the relaxation, if any, required in the guidelines. Since the Port Trusts have the flexibility to operate the rate at the ceiling level, the COPT was also requested to examine whether this provision can be applied in the case in reference.

3.2. The COPT has not furnished any concrete reply on the points made by this Authority. The COPT vide its letter dated 10 April 2008 on our request has forwarded a copy each of the Writ Petitions filed by S&R Cable Vision challenging the way leave charges collected by the port and a copy of the Judgement passed by the High Court of Kerala disposing the Writ Petitions. The relevant directions contained in the High Court Order is brought out hereinunder:

(i). The authority of the Cochin Port Trust to fix rates for cable TV network under Sections 49 and 50 is upheld.

(ii). The Cochin Port Trust is directed to fix tariff in accordance with Section 49 for all types of service in connection with cable TV network and demand the same from the petitioner and other operators. W.Ps. are accordingly disposed of directing the Cochin Port Trust Board to decide tariff rates as directed above under Sections 49 and 50 in their next meeting.

(iii). In view of petitioner's allegation that Cochin Port Trust is giving free facility to other operators, there will be direction to the Cochin Port Trust to prescribe uniform tariff to every cable TV operator so that every one has a level playing field.

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of COPT was forwarded to the user organisations as well as users forwarded by the COPT seeking their comments. The comments received from users/ user organisations were forwarded to COPT as feedback information. The COPT has furnished its remarks on the comments made by the users / user organizations subsequent to our advice at the joint hearing.

5.1. A joint hearing in this case was held on 20 June 2009 at the COPT premises. At the joint hearing, COPT and the concerned users / user associations have made their submissions.

5.2. At the joint hearing, the COPT was advised to examine the issues raised by M/s.Bharat Sanchar Nigam Limited, M/s.Bharati Airtel Limited, and M/s.Asianet Satellite Communications (P) Limited and furnish its comments. The COPT vide its letter dated 9 November 2009 has furnished its reply to the comments of the user organisations.

6. The proceedings relating to the consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

7. Based on the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). The Hon'ble High Court of Kerala in its Order dated 19 June 2007 held that all facilities available through port land and on properties of Port Trust are subject to provisions prescribed under Sections 49 and 50 of the Major Port Trusts (MPT) Act 1963. The High Court of Kerala has upheld that the port is entitled to collect the charges from TV cable operators as per the statutory provisions prescribed in Sections 49 and 50 of the Major Port Trusts (MPT) Act 1963. Thus, there is no doubt on the competency of the port to levy charges from TV cable operators. The matter before this Authority is thus confined to determine the quantum of way leave charge for TV cable lines for its uniform application. The Order dated 19 June 2007 pronounced by Hon'ble High Court of Kerala deals with the TV cables only and it does not mention about telephone cables. The COPT in its proposal has, however, included way leave charges for telephone cables also.

(ii). The port has proposed to charge way leave fee of Rs.4000/- per kilometer per annum for TV cable lines which is Rs.500 higher than the charges reportedly collected by Cochin Municipal Corporation from TV cable operators in the nearby area.

This Authority through various orders has held that way leave charges has to be prescribed at par with the lease rent applicable for the respective land of the major ports.

In the instant case, the approval sought by the COPT for levy of way leave charges is for TV cable lines which are drawn above the land surface and mainly through the electric poles. As rightly stated by one of the cable operators, they do not physically occupy any part of the port's land. That being so, applying market value of land for fixing the way leave charges for overhead TV cables may not be fully relevant. If the market value of land is applied, then the rate would work out higher than the rate proposed by the port.

Since the proposal of the port is only to collect a fee for granting permission to the TV cable operators for laying overhead cables in the port area, it may not be possible to determine charges for TV cable lines with reference to any cost.

The port has reported that the Cochin Corporation operating near the port area approximately charges Rs.3500/- per kilometer per annum as rent from cable TV operators. Though the port has not substantiated it with any documentary evidence, the TV cable operators consulted in this case have not contradicted the figure of Rs.3500/- per kilometer per annum reported by the port. Recognising that the Cochin Municipal Corporation would obviously have larger area under its jurisdiction and that too, adjacent to the port area, the rate collected by the Cochin Municipal Corporation is benchmarked to prescribe the way leave charges for TV cable lines in the Cochin Port Trust areas.

Considering the fact that this is only a miscellaneous tariff item, the additional income from tariff approved may not be significant.

(iii). M/s.Asianet Satellite Communications Limited (ASCL) have pointed out that the port collects pole charges from them. It is relevant to mention that the pre-revised Scale of Rates approved by this Authority in January 2007 and the recently revised Scale of Rates approved by this Authority on 23 February 2010 do not prescribe any such tariff item. Their argument is levy of charges for poles and again, way leave for overhead cable is a double jeopardy.

M/s.Asianet Satellite Communications Limited have also informed that they have filed a Writ Petition with reference to levy of Rs.3500/- proposed to be collected by the Cochin Municipal Corporation and that the High Court has stayed such levy. This Authority does not like to go into such individual litigations filed by the TV operators. The way leave charges prescribed by this Authority is for uniform application by the port. If the port decides to levy charges for poles and way leave charges together, it can do so only as per the final decision of the High Court in the case filed by M/s.Asianet Satellite Communications Limited.

Some of the TV cable operators have sought exemption from the levy of the way leave charges citing that they offer concession to port employees in the TV cable subscription charges. The arguments made by the users are not tenable, as the current exercise undertaken by the Authority is to prescribe a uniform rate for overhead TV cables. It is noteworthy that the rate fixed by this Authority are ceiling level.

(iv). As regards the proposal of the port for levy of way leave charges on telephone cable lines, there has been strong objections from both M/s.Bharati Sanchar Nigam Limited (BSNL) and M/s.Bharati Airtel Limited. M/s.Bharati Airtel Limited has stated that they are governed by the India Telegraph Act, 1985 and have license to lay such lines. They have further submitted that license granted to them permits to lay underground cables and that the Government of Kerala has exempted them from payment of way leave charge for the next fifteen years. Both BSNL and M/s.Bharati Airtel Limited have submitted that they do not pay such a rental charge anywhere else in the country. BSNL has also refuted the claim made by the port in the proposal about imposition of such levy by Cochin Municipal Corporation. The COPT has neither clarified nor contradicted the submissions made by the BSNL and M/s.Bharati Airtel Limited. There is no doubt that the port is entitled to levy way leave charge for cables drawn within the port area. But in the instant case since BSNL and M/s.Bharati Airtel Limited claim that

they are governed by Indian Telegraphs Act and about existence of separate license Agreement with the Government and also that they do not pay such rental any where else in the country, the legal issue arising in their case need to be frontally addressed by the port before the tariff arrangement proposed is considered. The port is directed to examine the issues raised by the BSNL and M/s.Bharati Airtel Limited and then submit a separate proposal, if necessary.

(v). The COPT has sought annual escalation in the proposed way leave charges at 2%. The Government guidelines of March 2004 on land policy prescribes annual escalation of 2% in lease rental. Such annual escalation will apply where the lease rent are fixed following the land policy guidelines. In the instant case, market value of land is not considered for fixation of the charge and hence the question of allowing annual escalation does not arise.

(vi). The COPT in the initial proposal had sought approval of the rates retrospectively from the date on which the operators entered into the agreement with the port. Subsequently, the COPT vide its letter dated 9 November 2009 has informed that the port has implemented the proposed way leave charges on an ad hoc basis w.e.f. 29 February 2008 based on its circular dated 30th June 2008. The implementation of the proposed rate on adhoc basis by the COPT is not in line with the tariff guidelines. As per clause 2.17.4 of the tariff guidelines, final rate fixed by the Authority will ordinarily have only prospective effect.

(vii). The tariff guidelines stipulate a tariff validity cycle of 3 years. It is found appropriate to review this tariff item along with the next review of other tariff items prescribed in its Scale of Rates of the Cochin Port Trust. The validity of the way leave charge for TV cable lines is therefore prescribed till 31 March 2012 to make it co-terminus with the validity of the revised Scale of Rates of the Cochin Port Trust which was notified on 7 April 2010.

8. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority amends the Scale of Rates of COPT by inserting Schedule 6.16. under Chapter VI - Miscellaneous Charges as follows:

"6.16. Way leave charges for TV cable lines

Sl. No.	Description	Unit of measurement	Rs.
1.	For TV cable lines	Per kilometer or part thereof per annum	3500/-

"

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT./III/4/143/10-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.